

11 06
24

पत्रावली पेशा हुई। जायती व
उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। इसके अनुपस्थित होने
के कारण जायती पत्र से सम्बन्धित मूल दावा
आवम पेशी अदालत हाजगी में खारिज हो चुका
है। जिससे यह जायती पत्र जब को चलाने
योग्य नहीं है। अतः इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली दिनांक के शुद्धार की जाकर
नम्बर से कम हो तथा तर्तीव तकमिल
लेकर मूल दावा के संलग्न हो। ६